



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 16 नवम्बर, 2015 ई0

कार्तिक 25, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 340/XXXVI(3)/2015/55(1)/2015

देहरादून, 16 नवम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित “उत्तराखण्ड विनियोग (2015-16 का प्रथम अनुपूरक) विधेयक, 2015” पर दिनांक 09 नवम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19 वर्ष, 2015 के रूप में सर्व-साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विनियोग (2015-16 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2015
(अधिनियम संख्या 19 वर्ष 2015)

31 मार्च, 2016 ई0 को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने की व्यवस्था के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित—

- | | |
|--|---|
| संक्षिप्त नाम | 1— इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विनियोग (2015-2016 का प्रथम अनुपूरक) अधिनियम, 2015 है। |
| उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से वर्ष 2015-16 के लिये रु0 47880640000 का दिया जाना | 2— ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के लिये, जो 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी गयी सेवाओं और प्रयोजनों के सम्बन्ध में देने पड़ेगे, उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से उतनी धनराशि निकाली और काम में लायी जा सकती है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग रु0 47880640000 (रुपया चार हजार सात सौ अठासी करोड़ छः लाख चालीस हजार मात्र) होता है, अधिक न हो। |
| विनियोग | 3— इस अधिनियम द्वारा उत्तराखण्ड की समेकित निधि में से जिन धनराशियों को निकालने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग, 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायेगा, जो अनुसूची में दिये हुये हैं। |

अनुसूची
(धारायें 2 और 3 देखें)

अनुदाना	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु० में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
01—	विधान सभा	राजस्व	14060	1344	15404
		पूँजी	0	0	0
02—	राज्यपाल	राजस्व	0	4205	4205
		पूँजी	0	0	0
03—	मंत्रिपरिषद	राजस्व	693597	0	693597
		पूँजी	0	0	0
04—	न्याय प्रशासन	राजस्व	38380	0	38380
		पूँजी	350000	0	350000
05—	निर्वाचन	राजस्व	73200	0	73200
		पूँजी	0	0	0
06—	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	राजस्व	2848071	0	2848071
		पूँजी	85000	0	85000
07—	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवार्य	राजस्व	5304562	0	5304562
		पूँजी	37000	0	37000
08—	आबकारी	राजस्व	38910	0	38910
		पूँजी	0	0	0
09—	लोक सेवा आयोग	राजस्व	9900	4700	14600
		पूँजी	20000	0	20000
10—	पुलिस एवं जेल	राजस्व	416445	0	416445
		पूँजी	103000	0	103000
11—	शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	राजस्व	3493986	0	3493986
		पूँजी	1696010	0	1696010
12—	चिकित्सा एवं परिवार कल्याण	राजस्व	1381966	0	1381966
		पूँजी	1414421	0	1414421
13—	जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास	राजस्व	4167017	0	4167017
		पूँजी	1458000	0	1458000
14—	सूचना	राजस्व	164486	0	164486
		पूँजी	0	0	0
15—	कल्याण योजनायें	राजस्व	2609591	0	2609591
		पूँजी	250000	0	250000

अनुदाना	विभाग का नाम	निम्नलिखित धनराशियों से अनाधिक (धनराशि हजार रु० में)			
		श्रेणी	विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
1	2	3			
16—	श्रम और रोजगार	राजस्व	204994	0	204994
		पूँजी	140000	0	140000
17—	कृषि कर्म एवं अनुसन्धान	राजस्व	2259421	0	2259421
		पूँजी	247500	0	247500
18—	सहकारिता	राजस्व	106260	0	106260
		पूँजी	0	0	0
19—	ग्राम्य विकास	राजस्व	739900	0	739900
		पूँजी	1480000	0	1480000
20—	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	159226	0	159226
		पूँजी	5154400	0	5154400
21—	ऊर्जा	राजस्व	173200	0	173200
		पूँजी	170000	0	170000
22—	लोक निर्माण कार्य	राजस्व	204000	0	204000
		पूँजी	3800000	0	3800000
23—	उद्योग	राजस्व	620169	0	620169
		पूँजी	736400	0	736400
24—	परिवहन	राजस्व	13300	0	13300
		पूँजी	109594	0	109594
25—	खाद्य	राजस्व	3230	0	3230
		पूँजी	32000	0	32000
26—	पर्यटन	राजस्व	13300	0	13300
		पूँजी	80300	0	80300
27—	वन	राजस्व	160574	0	160574
		पूँजी	451000	0	451000
28—	पशुपालन सम्बन्धी कार्य	राजस्व	109894	0	109894
		पूँजी	30000	0	30000
29—	औद्योगिक विकास	राजस्व	236405	2174	238579
		पूँजी	0	0	0
30—	अनुसूचित जातियों का कल्याण	राजस्व	2773314	0	2773314
		पूँजी	234758	0	234758
31—	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	राजस्व	548140	0	548140
		पूँजी	209336	0	209336
	योग—	राजस्व	29579498	12423	29591921

आज्ञा से,

जय देव सिंह,

प्रमुख सचिव।